न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2019-00165Ju2019-85 Kishorsingh Vs Hanumansingh etc

किशारेसिंह पुत्र श्री सांगसिंह, जाति राजपूत, निवासी- भीमसागर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. हनुमानसिंह पुत्र श्री सांगसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी- भीमसागर, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
02. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 01 जुलाई 2019 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 198/2019 हनुमानसिंह बनाम किशोरसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री धनपत चौधपरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 17 नवंबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 198/2019 हनुमानसिंह बनाम किशोरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जुलाई 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 30 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को एकपक्षीय सुनकर दिनांक 01 जुलाई 2019 को विवादित भूमि ग्राम भीमसागर के खेत खसरा नं. 123/7 रकबा 12.18 बीघा खसरा नं. 127/10 रकबा 14.19 बीघा तथा ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नं. 801/12 रकबा 18.07 बीघा के मौके की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिये गये, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये बिना ही एकपक्षीय बहस सुनते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश जारी किये जाने के पश्चात संहिता के प्रावधानों की पालना किये बगैर ही आदेश पारित किया है जो आदेश, आदेश 39 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भी अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधि के सिद्धांत कि सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विधि के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अपीलार्थी को बंटवाड़ा दिनांक 15.12.1992 के विरुद्ध विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की कि नजरी नक्शा मौके पर मौके की स्थिति के विपरीत है, इसलिए मौके की स्थिति की जांच कर तरमीम किये जाने का निवेदन किया तथा आदेश दिनांक 15.12.1992 को संशोधित किये जाने का निवेदन किया, जिसकी जानकारी होने पर बदनियति से प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जानबूझकर अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जुलाई 2019 को अपास्त किया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक के कब्जे काश्त में अपीलांट द्वारा दखलंदाजी की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक **01 जुलाई 2019 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेंट संख्या एक को एकपक्षीय सुनकर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति के अंतरिम आदेश पारित किये गये तथा एकपक्षीय आदेश में आदेश 39 सीपीसी की पालना नही किया जाना पाया जाता है। अद्यतन राजस्व रेकर्ड के मुताबिक वादग्रस्त भूमि ग्राम भीमसागर के खेत खसरा नं. 123/7 रकबा 12.18 बीघा खसरा नं. 127/10 रकबा 14.19 बीघा तथा ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नं. 801/12 रकबा 18.07 बीघा की ऑनलाईन तरमीम हो चुकी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट तरमीमसुदा स्वतंत्र खसरान् के रेकर्डेड खातेदार है।** इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु समान रूप से उभय पक्ष के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से की जाती है तथा उभय पक्ष को वाद के निस्तारण क पाबंद किया जाता है कि वे उभय पक्ष के पृथक-पृथक खसरान् के अंदर परस्पर दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर